


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

विभाग द्वारा जारी प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/ 2016-17 दिनांक 19-10-2016 (आदेश में प्रथम नाम श्री रामगोपाल शर्मा, ओझियाणा-आसीन्द भीलवाडा से जालिया-ग, अजमेर एवं अन्तिम नाम श्री लक्ष्मण गिरी, कांकरोली राजसमन्द से सुमेर सिंह की ढाणी-सिवाना बाडमेर इस प्रकार कुल 81 शिक्षा अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 19-10-16) के अन्तिम पैरा में उल्लेखित यात्रा-भत्ता एवं योगकाल की दैयता को निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है :-

पूर्व आदेश क्रमांक / दिनांक	पूर्व आदेशानुसार यात्रा भत्ता एवं योग-काल दैयता	संशोधित योगकाल एवं यात्रा भत्ता की दैयता
बी-2/45002/ स्था-समा/2016-17 दिनांक 19-10-16	क्रम संख्या 3, 10, एवं 81	पूर्व आदेशानुसार यथावत। (क्रम संख्या 3, 10, एवं 81 को)
	क्रम संख्या 12, 16, 25, 29, 31, 37, 48, 55, 58, 62, 64, 68, 70 एवं 72 के स्थान पर	क्रम संख्या-11, 14, 24, 28, 30, 36, 47, 54, 57, 61, 63, 67, 69 एवं 71 को।


शेष शर्तें पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगी।

  
सयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/16-17 दिनांक : 09-11-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
- 3 सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ संस्था प्रधान।
- 4 सम्बन्धित कार्मिक/प्रधानाचार्य-राउमावि0 को पालनार्थ।
- 5 रक्षित/ निजी पत्रावली।

  
सयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर